

पत्रांक-10/राज्य स्कीम आ0 - 32/2024-25

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

173 /आ.रा.

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची।
बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, राँची।
उपायुक्त,
राँची, गुमला, लोहरदगा, प0 सिंहभूम, चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
सरायकेला-खरसावाँ, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, लातेहार।

राँची, दिनांक-20-03-2025

विषय :-

राज्य योजना मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-19-“वाह्य स्रोत/अनुबंध से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता” के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु “मजदूरी” इकाई विपत्र कोड-40-S-2029-00-796-19-00-01-03 में कुल ₹9,91,03,000/- (रूपये नौ करोड़ एकानवे लाख तीन हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1321/रा0, दिनांक-22.04.2024 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-758/रा0, दिनांक-19.03.2025 तथा ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या-72, दिनांक-22.04.2024 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या-2381, दिनांक-19.03.2025 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आलोक में “मजदूरी” इकाई में कुल ₹9,91,03,000/- (रूपये नौ करोड़ एकानवे लाख तीन हजार) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उक्त राशि का ऑनलाईन आवंटन कार्यालय के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम के अंतर्गत राज्य के अंचल कार्यालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, जिला भू-अर्जन कार्यालय, अनुमण्डल कार्यालय, अपर समाहर्ता कार्यालय, समाहर्ता कार्यालय (राजस्व प्रशाखा), बंदोबस्त कार्यालय, परिसदन, राजस्व पर्वद, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, राजभवन, दुमका एवं मुख्यालय में बाह्यस्रोत/अनुबंध के माध्यम से सफाई, सुरक्षा, अधिष्ठापित मशीन-उपकरण के संचालन हेतु ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/वाहन/वाहन के चालक/अमीन/राजस्व कर्मचारी/लिपिक/गृह रक्षक/से.नि. सैनिक/सफाईकर्मी/अनुसेवक आदि की सेवाप्राप्त करने एवं जिला, प्रमण्डल, निदेशालय एवं मुख्यालय स्तर पर गठित पी.एम.यू. पर व्यय किये जाने के निमित्त आवंटन दिया जा रहा है।

4. सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से बाह्यस्रोत के तहत प्रत्येक अंचल कार्यालय में 2-2 होमगार्ड/सैनिक कल्याण निदेशालय के सेवानिवृत्त कर्मी को 3 पालियों में रखा जाएगा। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने के समय यह सुनिश्चित हो लेंगे कि वे लोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः सक्षम हों। सभी अपर समाहर्ता संबंधित उपायुक्त/सैनिक कल्याण निदेशालय से इस निमित्त अनुरोध कर होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करेंगे। होमगार्ड/सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने पर होने वाले व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा। सेवानिवृत्त सैनिक कर्मी की सेवा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय।

कृ०पृ०उ०

gm

5. जिला स्तर पर संविदा पर नियुक्त नीलाम पत्र पदाधिकारी का वेतन भुगतान इस राशि से नियमानुसार किया जाय।
6. राज्य के जिन जिलों में वाह्य स्रोत के माध्यम से चयनित एजेंसी से परिसदन भवन का संचालन किया जा रहा है, उन परिसदन भवन पर होनेवाले व्यय का वहन इस राशि से किया जाएगा।
7. उपर्युक्त सभी कार्यालयों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मियों की सेवा वाह्य स्रोत के अंतर्गत निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जाए। एजेंसी को स्वीकृत दर के अनुरूप राशि का भुगतान कार्यालय प्रधान का अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
8. जिन कार्यालयों में उपर्युक्त कंडिका-2 में उल्लेखित कर्मियों की आवश्यकता है, वहाँ न्यूनतम आवश्यकतानुसार इसके लिए निर्धारित अर्हता वाले लोगों की सेवा वाह्यस्रोत से निविदा द्वारा चयनित एजेंसी से अथवा वित्त विभाग के परिपत्र/दिशा-निर्देश के आलोक में नियमानुसार अनुबंध के माध्यम से प्राप्त किया जाय।
9. जिन कार्यालयों में विभागीय वाहन उपलब्ध नहीं है, वहाँ आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार निविदा/कोटेशन के माध्यम से एजेंसी से वाहन प्राप्त करेंगे। इस निमित्त एजेंसी पर होनेवाले व्यय का भुगतान इस योजना से किया जाएगा।
10. योजना व्यय का विकलन राज्य स्कीम अंतर्गत विषयांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि से होगा।
11. जिन कार्यालयों के लिए स्थापना व्यय से उपरोक्त योजना हेतु राशि आवंटित है, इसके लिए उक्त हद तक इस राशि का व्यय नहीं किया जाएगा तथा इस राशि का लेखा अलग से संधारित किया जाएगा।
12. इस योजना हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
13. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय नियमावली एवं सरकारी प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार सभी प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा।
14. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-257/बजट दिनांक-21.03.2024 एवं पत्रांक-204/बजट दिनांक-06.03.2025 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
16. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।
17. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन

shu

20/3

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

173/21/14 राँची, दिनांक-20-03-2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड/संबंधित अपर समाहर्ता/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

shu

20/3/XXV

सरकार के सचिव।

10/राज्य स्कीम आ. -32/2024-25...../आ.रा., दिनांक 20-03-2025

योजना मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-19-वाह्य स्रोत से अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि का आवंटन

क्र.	कार्यालय का नाम	DDO Code	आवंटित राशि
1	राँची	RNCORD 135	1000000
2	गुमला	GMLLDR 014	1300000
3	लोहरदगा	LOHLDR 006	4533000
4	प0 सिंहभूम (चाईबासा)	SGHDAD 111	1360000
5	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	JSRDAD 074	2200000
6	सरायकेला- खरसावाँ	SKLDAD 083	6000000
7	दुमका	DMKDAD 085	5000000
8	साहेबगंज	SBJLDR 004	17645000
9	पाकुड़	PKRDADA 07	7420000
10	जामताड़ा	JMTDAD 006	12455000
11	लातेहार	LTRDAD 002	6500000
12	प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची	RNCDAD 010	200000
13	बंदोबस्त कार्यालय, राँची	RNCLDR 010	550000
कुल			99103000

Shree.
24/3/24

(चन्द्रशेखर)
सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ym

